न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 24 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		01. श्री वासुदेव भट्टड पुत्र श्री झूमरलाल भट्टड, फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।
		02. अनुसुया भट्टड़ (मालिक), फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवायें जयपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर पहुँचा वहां खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (FRESCO) जो फर्श पर 20 कट्टों में 2000 केण्डी पाउच प्रत्येक वजन 180 ग्राम, आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ में से नियमानुसार 8 कैण्डी पाउच प्रत्येक 180 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 96 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (FRESCO) को 4 प्लास्टिक के जारों में 2–2 कैण्डी पाउच डाले एवं इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1641 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1641 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1641 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1641 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 917 / एक्ट / 2017 / 918 दिनांक 18.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1641 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि फर्म मेरी माता की है एवं मैं इसमें काम करता हूं। खाद्य पदार्थ की जांच मे खाद्य पदार्थ में कोई खराबी नहीं पायी गयी है। मात्र पैकेट पर International numerical identification of synthetic food color and common name of artificial flavouring substance used का अंकन नहीं था। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। यह मेरी प्रथम भूल है। इसे मैने लेबल पर अंकित कर दिया है। कृपया मामला खारिज फरमाने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ .की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 918 दिनांक 18.10.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होंने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 2000 अक्षरे रूपये दो हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADD JUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 16/4/18 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16/4/18 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

कमांक:– न्यायिक/कोर्ट/2018/ 1016-1019 दिनांक :- 16-4-2018

प्रतिलिपी:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अभिहित अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एंव स्वा. सेवायें जयपुर।
03. श्री वासुदेव भट्टड पुत्र श्री झूमरलाल भट्टड, फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।
04. अनुसुया भट्टड (मालिक), फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर